न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या.....55...... / 2025

प्रेमाराम बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक वास्ते रिकार्ड दुरूस्ति अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
व अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक....28/5/25

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रेमा राम पुत्र इमरता राम उम्र वर्ष जाति बावरी निवासी ग्राम तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू ने उक्त धारा के तहत एक दावा घोषणात्मक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हेमासर आंथूणा तह. बीदासर के खसरा संख्या 34 तादादी 4.3757 हेक्टेयर भूमि के 1/3 हिस्सा पांति भूमिखेत में वादी के पिता का नाम ईमरतिया पुत्री बल्लू अंकित है, जो कि गलत है, जबकि वादी के पिता का सही नाम इमरता राम पुत्र बालुराम है। प्रतिवादीगण 1 वा गौण प्रतिवादीगण 2 ता 8 को जरिए नोटिस तलब किया गया, गौण प्रतिवादीगण 2 ता 8 बावजूद तामील के उपस्थित नही होने के कारण से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है, वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपने पिता का परिवार राशन कार्ड संख्या 007068200269 में वादी के पिता इमरता राम, मृत्यु प्रमाण पत्र पंजियन संख्या 08102007010030300015/2024 मे वादी के पिता इमरता राम पुत्र बालुराम, आधार कार्ड संख्या 930173782305 में वादी के पिता इमरता राम पुत्र बालुराम, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या RJ/03/016/531162 मे वादी के पिता इमरता राम पुत्र बालुराम, जन–आधार कार्ड संख्या 4724756015 में वादी के पिता इमरता राम पुत्र बालुराम, भारतीय स्टैट बैंक शाखा कातर छोटी खाता संख्या 61284613804 की बैंक पासबूक आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की, जिन सभी में ईमरतिया पुत्री बल्लू के बजाय इमरता राम पुत्र बालुराम अंकित है। अतः वादी के पिता का नाम ईमरतिया पुत्री बल्लू के स्थान पर इमरता राम पुत्र बालूराम किया जाना उचित प्राप्त होता है।

–: आदेश :–

अतः भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 व 136 के तहत को स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम हेमासर आंथूणा तह. बीदासर के खसरा संख्या 34 तादादी 4.3757 हेक्टेयर भूमि के 1/3 हिस्सा पांति भूमिखेत में वादी के पिता का नाम ईमरतिया पुत्री बल्लू के स्थान पर इमरता राम पुत्र बालुराम दर्ज कर वर्तमान रिकार्ड दुरूस्ति के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपी पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक....28/5/25.... को मेरे द्वारा लिखवा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बीदासर जिला-चूरू